विभाग का नाम	**लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या**	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) का वर्ष	कार्यान्वयन हेतु लबित कंडिकाए	कंडिकाओं की सख्या	कुल सख्या
संस्थात्मिक वित एवं कार्य्रक्रम कार्यान्वयन विभाग (Institutional Finance & Programme Implemention Deppt.	392	1983-84	3.9.8(Part)	1	6
		1984-85	3.2.4(Part)	1	
		1985-86	3.1.8.1(Part)	1	
		1990-91	3.3(Part) ,6.3.6(Part)	2	
		1992-93	3.16(Part)(Review)	1	

(32)

प्रकाशन संख्या-301

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 392

सांख्यिकी वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1983-84 से 1998-99 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन।

दिनांक...............................को सदन में उपस्थापित।

प्राक्कथन

मै, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1983-84 से 1998-99 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सं० 392 प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 29-4-03 को लोक लेखा समिति की मुख्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है । प्रतिवेदन तैयार करने के कम में महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि पदाधिकारियों एवं वित्त विभाग के पदाधिकारियों से समिति को वांछित सहयोग मिला है, जिसके लिये मै अपनी तथा समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ । साथ ही विभाग के पदाधिकारियों के भरपूर सहयोग के लिए मै उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । लोक लेखा समिति की सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के साथ कुल -7 बैठक हुई ।

सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने अथक परिश्रम का परिचय इस प्रतिवेदन तैयार करने में दिया है । मै अपनी ओर से उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यगण अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग प्रदान की है, मै उनका आभारी हूँ और इस कृत के लिए अपनी ओर से सहृदय धन्यवाद देता हूँ ।

पटना :
दिनांक 29-4-03

रामदेव वर्मा,
सभापति,
लोक लेखा समिति

घरों के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया था किन्तु तीन जिलों (पूर्णिया, मधेपुरा और खगड़िया) में कार्य शुरू ही नहीं किया गया था । मधुबनी जिले में हालांकि 714 घर निर्माण के जिले अप्रैल 1982 में लिये गये थे, उनमें से एक को भी लेखा परीक्षा की तारीख (जून 1984) तक पूरा नहीं किया गया था । 15 जिलों से अधूरे घरों का प्रतिशत जिनका निर्माण कार्य मई 1981 और अप्रैल 1982 के मध्य से आरंभ किया गया था और जिसके पूरा करने का समय निर्धारण एक वर्ष के अन्दर था, छठी योजना के अंतिम वर्ष में सिंहभूम में 5.2 से लेकर मधुबनी जिलों में 100 तक था (तीन जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक, दो जिलों में 60 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से अधिक नहीं और 4 जिलों में 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से अधिक नहीं) जैसा कि परिषिष्ट 3.6 में दिया गया है । घरों के अधूरे रहने के कारण पर्याप्त सांस्थिनिक वित्त उपलब्ध न होना बताया गया ।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि 31 मार्च 1984 तक समस्त राज्य के लिए हुडको द्वारा संस्वीकृत 600 लाख रूपये के मुकाबले हुडको ने इसके लिये 154.75 लाख रूपये का ही कर्ज दिया था । हुडको द्वारा संस्वीकृत कर्ज की राशि से विमुक्ति न करने के कारण ज्ञात नहीं थे ।

2. हुडको से प्राप्त 154.75 लाख रूपये के कर्ज में से बोर्ड ने मार्च 1984 तक 57.91 लाख रूपये हुडको को वापस किया था, यह वापसी लाभान्वितों से जिन्हें निर्मित गृह आंबटित किये गये थे, बकाया राशि वसूल किये बगैर की गई थी । इससे पूँजी का ह्रास हुआ और परिणाम स्वरूप 31 मार्च 1984 के अन्त में बहुत बड़ी संख्या में मकान (8950) अधूरे रह गये ।

सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार, पटना

वर्ष	कंडिका संख्या	भारत के नियंत्रक महालेखाकारपरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1984-85 की कंडिका का विवरणी	विभाग का स्पटीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा

वर्ष	कंडिका संख्या	भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1983-84 की कंडिका का विवरणी	विभाग का स्पटीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
1983-84	3.9.8	घरों का निर्माण एवं वितरण उस योजना के अन्तर्गत, बिहार राज्य आवास बोर्डको राजस्व प्राधिकारियों द्वारा दिये गये स्थलों पर भूमिहीन और बेघर परिवारों के लिए गृह निर्माण का कार्य (अनुमानित लागत 4000 रूपये प्रति गृह) सौपा गया था । इस उद्देश्य के लिए 1980-81 से 1983-84 की अवधि में बोर्ड की कुल 634.75 लाख रूपये की राशि निम्नलिखित स्त्रोतों से दी गई थी:- (1) राजस्व विभाग(लाख रू0 मे)- 490.00 (2) सांस्थिक वित्त (हुडको)- 154.75 इसमेंसे बोर्ड के सूचनानुसार उसने फरवरी 1984 तक कुल 759.16 लाख रूपये की राशि व्यय की । प्राप्ति से अधिक व्यय (114.41 लाख रूपये) को सूचनानुसार एक पृथक योजनान्तर्गत भूमिहीन अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए गृह निर्माणार्थ ग्रामीण पुनर्निर्माण और पंचायती राज विभाग से बोर्ड द्वारा प्राप्त (1980-81) 142.20 लाख रूपये से पूरा किया गया था । 1983-84 तक गृह निर्माण के लिए बोर्ड द्वारा शुरू किये गये 24,240 गृहो में केवल 15,290 (63.1 प्रतिशत)ही पूरे हो सके जिसमें से 9456 घर ही लाभान्वितों को वितरित किये गये) 31 मार्च 1984 को 5834 घर जो निर्मित घरों के 38.2 प्रतिशत थे, वितरण के लिये उपलब्ध थे । राज्य में 33 पूर्व मान्यता प्राप्त जिलों में से 30 जिलों में	यह आपत्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के शीर्ष के अन्तर्गत उठायी गयी है और इसका संबंध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा बिहार राज्य आवास बोर्ड से है । सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन विभाग का सृजन 1988-89 में किया गया है । कृपया इस कंडिका को सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग विभाग की सूची से विलोपित कर दिया जाय ।	विभागीय उत्तर के अलोक में समिति अनुशंसा करती है कि विभाग, अन्य संबंधित विभाग यथा राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग, बिहार राज्य आवास बोर्ड और पंचायती राज विभाग से सम्पर्क स्थापित कर आपत्ति पर आवश्यक कार्रवाई कर समिति को 6 माह के अन्दर सूचित करें ।

A.T.R

हुआ और परिणाम स्वरूप 31 मार्च 1984 के अन्त में बहुत बड़ी संख्या में मकान (8950) अधूरे रह गए ।

सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार, पटना

वर्ष	कंडिका संख्या	भारत के नियंत्रक महालेखाकारपरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1984-85 की कंडिका का विवरणी	विभाग का स्पटीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1984-85	3.2.4	सांस्थानिक वित्त योजना के अन्तर्गत, लाभ प्राप्त करने वालों को बायो-गैस संयंत्र के पूंजी मूल्य का एक भाग प्रवर्तक प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है । जहाँ लाभ प्राप्त करनेवाले उनके अपने स्त्रोत से शेष की व्यवस्था करने में असमर्थ है, बैंक के द्वारा ऋण सहायता प्रदान की जाती है । जनता मॉडल के सन्दर्भ में उप-विकास आयुक्त को जिला स्तर प्रतिनिधि की तरह नामोद्दिष्टक किया गया था जो कि चल-शुम्बद प्रकार के संयंत्रों के लिए उर्जा, विभाग और के0बी0आई0सी0/के0बी0आई0बी0 के निमित्त आवेदनों को वित्त पोषक बैंकों को प्रायोजित करने की व्यवस्था करेंगे । के0बी0आई0सी0/के0बी0आई0बी0 के द्वारा संयंत्र स्थापित किये जाने के लिए योजना की स्वीकृति पर, बैंकों के द्वारा लाभ प्राप्त करने वालों की साधारणत: तीन किश्तों में, सहायिकी हिस्से के सहित ऋण जारी किया जाता है । संयंत्र के पूरा होने के बाद, भाग लेने वाले बैंक के0बी0आई0सी0/के0बी0आई0बी0 के सहायिकी हिस्से का दावा करते है और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के द्वारा ऋण भाग का पुन: वित्त पोषण किया जाता था । 1980-81 से 1983-84 के दौरान, 677 प्रखंडों में, 7989 संयत्रों की स्थापना के लिए 30 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी और लाभ प्राप्त करने वालों को भाग लेने वाले बैंकों के द्वारा कुल 229 लाख रू0 की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया । उसके द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के लिए, किया योजना के अन्तर्गत, कार्यक्रम को शीघ्र लागू करने के लिए, 1980-84 के द्वारान नाबार्ड ने बैंकों को पुन: वित्तीय सहायता के लिए 214 लाख रू0 उपलब्ध कराया । फिर भी 30	इस आपत्ति का संबंध सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से नहीं प्रतीत होता है । सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग मात्र अनुश्रवण का कार्य करता है । वायो गैस संयंत्र का सम्बन्ध उर्जा विभाग/उद्योग विभाग से प्रतीत होता है । इस कंडिका का अनुपालन संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाना है । क्योंकि सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का सृजन 1988-89 में किया गया है । कृपया इस कंडिका को सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की सूची से विलोपित कर दिया जाय ।	विभागीय स्पष्टीकरण के अलोक में इस कंडिका पर ऊर्जा एवं उद्योग विभाग से सम्पर्क स्थापित कर 6 माह के अन्दर समिति की आपत्ति पर की गई पूर्ण एवं आवश्यक कार्रवाई कर समिति को सूचित करें ।

		योजनाओं में से, जनवरी 1984 तक कुल 12 योजनायें, 4041 संयंत्रों की स्थापना के लिए ली गयी । उसके बाद, न ही कोई योजना स्वीकृत हुयी, न ही जो स्वीकृत हो चुकी थी वे पूरा करने के लिए ली गयी (जनवरी 1986) । वास्तव में सिर्फ 8 लाख रू0 की ही पुर्नवत्तीय सहायता प्राप्त की गयी (अगस्त, 1985) । नावार्ड के द्वारा कमी के दायित्व (i) उर्जा विभाग की ओर से और के0बी0आई0सी0 के द्वारा कम संख्या में आवेदनों को प्रायोजित किया जाना, (ii) सरकार के द्वारा बैंक को इसके जमा किये जाने तक सहायकी पर सूद भुगतान का दायित्व लाभ प्राप्त करने वालों पर दिया जाना, (iii) पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त बैंक कर्मचारियों की कमी और (iv) कच्चे मालों के मूल्य में वृद्धि के साथ संयंत्रों के अनुमानित मूल्य और फलस्वरूप सहायिकी के दर का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाना, को सौपे गये हैं ।		

वर्ष	कंडिका	भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)	विभाग का स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/

		योजनाओं में से, जनवरी 1984 तक कुल 12 योजनायें, 4041 संयंत्रों की स्थापना के लिए ली गयी । उसके बाद, न ही कोई योजना स्वीकृत हुयी, न ही जो स्वीकृत हो चुकी थी वे पूरा करने के लिए ली गयी (जनवरी 1986) । वास्तव में सिर्फ 8 लाख रू0 की ही पुर्नवत्तीय सहायता प्राप्त की गयी (अगस्त, 1985) । नावार्ड के द्वारा कमी के दायित्व (i) उर्जा विभाग की ओर से और के0बी0आई0सी0 के द्वारा कम संख्या में आवेदनों को प्रायोजित किया जाना, (ii) सरकार के द्वारा बैंक को इसके जमा किये जाने तक सहायकी पर सूद भुगतान का दायित्व लाभ प्राप्त करने वालों पर दिया जाना, (iii) पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त बैंक कर्मचारियों की कमी और (iv) कच्चे मालों के मूल्य में वृद्धि के साथ संयंत्रों के अनुमानित मूल्य और फलस्वरूप सहायिकी के दर का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाना, को सौंपे गये है ।		

सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार, पटना

वर्ष	कंडिका	भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)	विभाग का स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा

सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार, पटना

वर्ष	कंडिका संख्या	भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1985-86 की कंडिका का विवरणी	विभाग का स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1985-86	3.1.8.1	सांस्थानिक वित्त एस0एस0आई0 इकाईयों को वित्तीय संस्थानों जैसे बिहार राज्य वित्तीय निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन0एस0आई0सी0), बिहार, राज्य क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध थी । लघु उद्योगों के कार्यक्रम के विकास के लिए, किए जाने वाले उपायों में से एक, सांस्थानिक वित्त का त्वरित प्रवाह, विशेषकर छोटी इकाईयों तथा ब्याज-दर संरचना को युक्तिसंगत बनाना था । 1980-81 के दौरान सांस्थानिक वित्त (कुल 11,820.97 लाख रू0 1980-86 के दौरान) 4,255.38 लाख रू0 की भारी गिरावट के कारण 1981-82 के दौरान 842.85 रू0 हो गया, जिसके कारणों का स्पष्टीकरण विभाग द्वारा नही दिया जा सका । अनुवर्ती वर्षों मे यद्यपि उधार के व्यापक प्रवाह में क्रमिक उपरि प्रकृति रही (1985-86 में अधिकतम 2216.37 लाख, जो कि 1980-81 में दी गई राशि का 52 प्रतिशत था) आदिवासी क्षेत्रों में (1982-86 के दौरान अन्य क्षेत्रों में 6403.58 लाख रू0 के मुकाबले कुल 319.16 लाख रू0) 1983-84 के दौरान 133.03 लाख रू0 से 1985-86 के दौरान 42.73 लाख रू0 की कमी हुई । उद्योग विभाग ने स्वीकार किया (जुलाई 1986) कि सांस्थानिक वित्त के अपर्याप्त प्रवाह के कारण राज्य में लघु उद्योगों के विकास में	इस आपत्ति का संबंध सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से नहीं है । यह विभाग मात्र अनुश्रवण का कार्य करता है। आवश्यकता अनुसार विभागों एवं वित्तीय संस्थाओं से समन्वय का कार्य भी विभाग द्वारा किया जाता है एस0एस0आई0 इकाईयों से संबंधित कार्य उद्योग विभाग द्वारा समन्वय किये जाते है । इस कंडिका का अनुपालन संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाना है । सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का सृजन 1988-89 में किया गया है । कृपया इस कंडिका को सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की सूची से विलोपित कर दिया जाय ।	विभागीय स्टष्टीकरण के आलोक में इस कंडिका पर उद्योग विभाग से सम्पर्क कर आपत्ति पर पूर्ण एवं आवश्यक कार्रवाई कर समिति को 6 माह के अन्दर अवगत कराया जाय ।

		बाधा उत्पन्न हुई । सात डीआई0सी0एस0 (गया, पलामू, नालन्दा, रॉची, हजारीबाग, भागलपुर और दरभंगा) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि 1980-81 से 1985-86 के दौरान उनके द्वारा सिफारिश किए गए 8,295 मामलों में से केवल 4,036 मामले (48.7 प्रतिशत) वित्तीय संस्थानों द्वारा निपटाये गये थे । अन्य मामलों को रद्द करने के कारण केन्द्रों में उपलब्ध नही थे । फिर भी डी0आई0सी0, दरभंगा ने सूचित किया कि यद्यपि उसमें सुधार लाने के लिए, वित्त प्रदान करने वालों के साथ राज्य स्तर तथा, जिला स्तर पर भी बैठकें हुई थी फिर भी उनके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे । चूंकि 1983-84 से स्व0-रोजगार योजना के आने के बाद वित्तीय संस्थान एस0एस0आई0 इकाईयों को सामान्य वित्त देने में निष्क्रिय हो गए ।		

			विभाग का स्पटीकरण	समिति का

सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार, पटना

वर्ष	कंडिका संख्या	भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1985-86 की कंडिका का विवरणी	विभाग का स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1985-86	3.1.8.1	सांस्थानिक वित्त एस0एस0आई0 इकाईयों को वित्तीय संस्थानों जैसे बिहार राज्य वित्तीय निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन0एस0आई0सी0), बिहार, राज्य केडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध थी । लघु उद्योगों के कार्यक्रम के विकास के लिए, किए जाने वाले उपायों में से एक, सांस्थानिक वित्त का त्वरित प्रवाह, विशेषकर छोटी इकाईयों तथा ब्याज-दर संरचना को युक्तिसंगत बनाना था । 1980-81 के दौरान सांस्थानिक वित्त (कुल 11,820.97 लाख रू0 1980-86 के दौरान) 4,255.38 लाख रू0 की भारी गिरावट के कारण 1981-82 के दौरान 842.85 रू0 हो गया, जिसके कारणों का स्पष्टीकरण विभाग द्वारा नही दिया जा सका । अनुवर्ती वर्षों मे यद्यपि उधार के व्यापक प्रवाह में क्रमिक उपरि प्रकृति रही (1985-86 में अधिकतम 2216.37 लाख, जो कि 1980-81 में दी गई राशि का 52 प्रतिशत था) आदिवासी क्षेत्रों में (1982-86 के दौरान अन्य क्षेत्रों में 6403.58 लाख रू0 के मुकाबले कुल 319.16 लाख रू0) 1983-84 के दौरान 133.03 लाख रू0 से 1985-86 के दौरान 42.73 लाख रू0 की कमी हुई । उद्योग विभाग ने स्वीकार किया (जुलाई 1986) कि सांस्थानिक वित्त के अपर्याप्त प्रवाह के कारण राज्य में लघु उद्योगों के विकास में	इस आपत्ति का संबंध सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से नहीं है । यह विभाग मात्र अनुश्रवण का कार्य करता है। आवश्यकता अनुसार विभागों एवं वित्तीय संस्थाओं से समन्वय का कार्य भी विभाग द्वारा किया जाता है एस0एस0आई0 इकाईयों से संबंधित कार्य उद्योग विभाग द्वारा समन्वय किये जाते है । इस कंडिका का अनुपालन संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाना है । सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का सृजन 1988-89 में किया गया है । कृपया इस कंडिका को सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की सूची से विलोपित कर दिया जाय ।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में इस कंडिका पर उद्योग विभाग से सम्पर्क कर आपत्ति पर पूर्ण एवं आवश्यक कार्रवाई कर समिति को 6 माह के अन्दर अवगत कराया जाय ।

सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम [illegible]

<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>कंडिका संख्या</th><th>भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1986-87 की कंडिका का विवरणी</th><th>विभाग का स्पटीकरण</th><th>समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा</th></tr>
<tr><td>1986-87</td><td>2.2.6</td><td>निम्नलिखित मामलों में 50 लाख रूपये और उससे अधिक की सम्पूर्ण घन-व्यवस्था अनुपयोजित रहे:

<table><tr><th>क्रम संख्या</th><th>अनुदान की संख्या एवं लेखे का मुख्य शीर्ष</th><th>घन व्यवस्था (लाख रूपये में)</th><th>कैफियत</th></tr></table>
1. अनुदान संख्या- 3
घ.- 253- जिला प्रशासन
घ- 4 अन्य व्यय</td><td>यह कंडिका सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से संबंधित नही है क्योंकि इस विभाग का सृजन 1988-89 में किया गया है । कृपया इस कंडिका को सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की सूची से विलोपित कर दिया जाय ।</td><td>समिति इस निदेश के साथ विभाग के भविष्य में बजट प्रावधान सुनिश्चित करेगा । समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नही चाहती है ।</td></tr>
</table>

सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार, पटना

<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>कंडिका संख्या</th><th>भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1988-89 की कंडिका का विवरणी</th><th>विभाग का स्पटीकरण</th><th>समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा</th></tr>
<tr><td>1988-89</td><td>2.2.6</td><td>निम्नलिखित मामलों में 50 लाख रूपये और उससे अधिक की समूची धन व्यवस्था का उपयोग नहीं हो सका:-
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>अनुदान की संख्या और लेखों का शीर्ष</th><th>धनव्यवस्था (लाख रू0 में)</th><th>अभ्युक्तियाँ</th></tr>
<tr><td></td><td>अनुदान संख्या 3
घ.-2053- जिला प्रशासन
घ-4-800- अन्य व्यय</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>घ4(5) आठवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तर में उन्नति जनजातीय क्षेत्रो में नियुक्ति, सरकारी सेवकों की क्षतिपूरक भत्ते ।</td><td>75.18</td><td>1986-87 और 1987-88 में भी 75.18 लाख रू0 के प्रावधान का उपयोग नहीं हो सका ।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अनुदान संख्या-13
ख. 7615 विविध कर्जे
ख. 1-200-विविध कर्जे
ख. 1(1)-विविध

अनुदान संख्या-15
3'क' 7055-पथ परिवहन के लिए ऋण</td><td>500.00</td><td>1987-88 में भी 6100.00 लाख रू0 के प्रावधान का उपयोग नहीं हो सका ।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>3क(1) बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की कर्जे
अनुदान संख्या-21</td><td>1,66.00</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>क.2059-लोक निर्माण कार्य</td><td>1,16.03</td><td></td></tr>
</table>
</td><td>यह कंडिका सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से संबंधित नहीं है । कृपया इस कंडिका को सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की सूची से विलोपित किया जाय ।</td><td>समिति इस निदेश के साथ विभाग के भविष्य में बजट प्रावधान सुनिश्चित करेगा। समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।</td></tr>
</table>

3क' 7055-पथ परिवहन के लिए ऋ

	3.	3क(1) बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को ऋण अनुदान संख्या-21	1,66.00		
	4.	क.2059-लोक निर्माण कार्य क 1(1)(9) योजनान्तर्गत इकाईयों के लिए स्वीकृत पदों पर व्यय के लिए निधि का प्रावधान 2क-4059 लोक निर्माण कार्यो पर पूँजीगत परिव्यय	1,16.03		
	5.	2क 2 (1) (18) सातवें वित्त आयोग से संबंधित निर्माण कार्यो के लिए एक मुश्त धन व्यवस्था अनुदान संख्या-23	1,34.00		
	6.	क-3054-सड़के और पुले क- 3(1)(1)सिविल पथ स्थानीय निकायो की सहयता 2क-5054-सड़कों और पुलो पर पूँजीगत परिव्यय 2क- (1)(4)(2) केन्द्र प्रयोजित योजना	63.00		
	7.	(i) आर्थिक और अंतर्राज्यीय महत्व की सड़के अनुदान संख्या-26 क-क 4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय क- क 1-80-सामान्य	55.00		
	8.	क- क 1(1)(1)-भवनें (i) विशेष समेकित योजना-प्राथमिक इकाइयां	75.00		
	9.	(xvi) नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल ग-2852 उद्योग ख1(3)(22) इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, विकास योजना-सहायता-अनुदान	56.50 95.00		

		2ड.-4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय			
		2ड.1(2)-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना			
		2ड.1(2) बिहार राज्य चर्मउद्योग विकास निगम की शेयर पूँजी में अंशदान	175.00	1988-89 में भी 175.00 लाख रू० की प्रावधान अप्रयुक्त रह गया ।	
		2ड.2(1)(1) औद्योगिक विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण	78.00	1988-89 में भी 56.00 लाख रू० का प्रावधान अप्रयुक्त रह गया ।	
		3ड.1(1)(3) बिहार राज्य क्रडिट और इन्वेस्टमेंट निगम प्राइवेट लिमिटेड की कर्जे	260.00		

सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार, पटना

वर्ष	कंडिका संख्या	भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1989-90 की कंडिका का विवरणी	विभाग का स्पटीकरण	समिति का निर्णय/ अनुशंसा
1989-90	2-2-6	निम्नलिखित अनुदानों में लगातार बचतें दिखी गयी :- रकम करोड़ रूपये में और इसकी धन व्यवस्था का प्रतिशत कोष्टक में है :	(1)वर्ष 1987-88- सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से संबंधित नही है । (2) वर्ष 1988-89 सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से संबंधित नही है । 3)वर्ष 1989 90 इस वर्ष में सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को जिला प्रशासन में शीर्ष- 2053- जिला प्रशासन-800-अन्य व्यय -अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्यों का यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय मे कुल बजट उपबंध 10.76 लाख का था जिसमे से 1.12 लाख का पुर्नविनियोग करने पर शेष उपबंध 9.64 लाख रहा जिसमे से 3,04,448.00 रू0 का प्रत्यर्पण किया गया जो अत्यल्प है । कृपया इस कंडिका को सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की सूची से विलोपित कर दिया जाय।	समिति इस निदेश के साथ विभाग के भविष्य में बजट प्रावधान सुनिश्चित करेगा। समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नही चाहती है।

क्र०	अनुदान संख्या	1987-88	1988-89	1989-90
1.	3- मंत्रिपरिषद, चुनाव, सचिवालय और जिला प्रशासन	8.72 (5.29)	67.11 (36.70)	60.01 (30.49)

सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार, पटना

वर्ष	कंडिका संख्या	भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1990-91 की कंडिका का विवरणी	विभाग का स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1990-91	2-2-6	निम्नलिखित अनुदानों में लगातार बचत देखी गई- रकम करोड़ रूपये में और इसकी व्यवस्था का प्रतिशत कोष्ठक में है- (तालिका नीचे)	(1) वर्ष 1988-89- यह सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से संबंधित नहीं है । (2) वर्ष 1989-90 - इस वर्ष में इस विभाग को जिला प्रशासन में शीर्ष-2053 जिला प्रशासन-800-अन्य व्यय-अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत गैर सरकारी सदस्यों का यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय में कुल बजट उपबंध 10.76 लाख में से 1.12 लाख का पुर्नविनियोग के पश्चात् शेष उपबंध 9.64 लाख रहा जिसमें से 304448.00 रू0 का प्रत्यर्पण किया गया है जो अत्यल्प है तथा वह गैर सरकारी सदस्यों द्वारा यात्रा विपत्र समर्पित नहीं करने के कारण एवं बैठक आयोजित नही होने के कारण है । (3) वर्ष 1990-91 में सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को जिला प्रशासन में दो शीर्षों में (क)2053-जिला प्रशासन - [illegible] उपयोजना-क्षेत्रीय योजना 20-सूत्री कार्यक्रम गैर सरकारी सदस्यों का यात्रा व्यय में 2.00 लाख रू0 के	समिति इस निदेश के साथ विभाग के भविष्य में बजट प्रावधान सुनिश्चित करेगा। समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्र0	अनुदान संख्या	1888-89	89-90	90-91
1	3-मंत्री परिषद चुनाव मंत्रिवालय जिला प्रशासन	67.11 (36.70)	60.01 (30.49)	20.84 (13.17)

		वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को जिला प्रशासन में दो शीर्षों में (क)2053-जिला प्रशासन -	
		योजना-796-अन्य व्यय-अन्य क्षेत्रीय उपयोजना-क्षेत्रीय योजना 20-सूत्री कार्यक्रम गैर सरकारी सदस्यों का यात्रा व्यय में 2.00 लाख रू0 के बजट उपबंध में से 1,84,500.00 रू0 का प्रत्यर्पण किया गया है जिसका कारण जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन नहीं होने के फलस्वरूप बचत है । (ख)2053-जिला प्रशासन 800-अन्य व्यय-अन्य क्षेत्रीय उपयोजना-गैर सरकारी सदस्यों का कार्यालय व्यय एवं यात्रा व्यय में 10.76 लाख का बजट उपबंध में से 442800.00 रू0 का प्रत्यर्पण किया गया है जिसका कारण जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन नहीं होने के फलस्वरूप बचत है। अतः कंडिका समाप्त किया जाय ।	
3.3.6	कार्यक्रम कार्यान्वयन 3.3.6.1 <u>नियंत्रण इकाई तथा चिकित्सा केन्द्र की स्थापना</u> 1984-85 के आरंभ में 37 नियंत्रण इकाई-2 सर्वेक्षण इकाई तथा 16 चिकित्सा केन्द्र थे, 1984-91 के दौरान 16 अतिरिक्त नियंत्रण इकाईयाँ, 33 चिकित्सा केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित थी, जबकि मात्र 8 नियंत्रण इकाई तथा 22 चिकित्सा केन्द्र खोले गये । इस प्रकार कमी क्रमशः 50 प्रतिशत व 33 प्रतिशत की रही ।	इस कंडिका के आपत्ति का संबंध सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से नहीं है । यह विभाग मात्र अनुश्रवण का कार्य करता है । आवश्यकतानुसार विभागों एवं वित्तीय संस्थाओं से समन्वय का कार्य भी विभाग द्वारा किया जाता है । उठाये गये आपत्तियों का बिन्दु स्वास्थ्य एवं वित्त विभाग से संबंधित है । इस	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति निदेश देती है कि विभाग स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर आपत्ति की गई बिन्दु पर पूर्ण आवश्यक कार्रवाई कर 6 माह के अन्दर समिति

निदेशालय ने (जुलाई 1991) नई इकाईयों न खोले जाने का कारण सरकार के द्वारा स्वीकृति न प्राप्त होना बताया ।

भारत सरकार द्वारा 1982 में गठित भारतीय चिकित्सा शोध परिषद समिति ने 1984 में यह अनुशंसा की कि प्रत्येक फाईलेरिया नियंत्रण इकाई को एक जीव वैज्ञानिक/ फाईलेरिया पदाधिकारी रखनी चाहिए । यद्यपि मार्च 1991 तक 35 नियंत्रण इकाईयाँ थी, तथापि फाईलेरिया पदाधिकारी के स्वीकृति पद मात्र 12 थे, और मात्र 9 पदाधिकारी 18 इकाईयों का निरीक्षण कर रहे थे । बाकी 17 नियंत्रण इकाईयों के निरीक्षण कार्य मात्र सहायक कीट वैज्ञानिक कर रहे थे । फाईलेरिया पदाधिकारियों की संख्या में अनुशंसा की कमी के कारण कार्यक्रमा प्रभावशाली रूप से कार्यान्वियन नही किया जा सका ।

निदेशालय (जुलाई 1991) ने बताया कि सरकार द्वारा फाईलेरिया पदाधिकारियों के और अधिक पद स्वीकृत किये जा रहे है तथा स्वीकृति अभी तक प्रतिक्षित थी ।

वित्त विभाग से संबंधित है । इस कंडिका का अनुपालन संबंधित विभाग द्वारा किया जाना है । कृपया इस कंडिका को सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की सूची से विलोपित करने का कष्ट किया जाये ।

के अन्दर समिति को अवगत कराया जाय ।

3.3.6.2 फाईलेरिया से संबंधित सर्वेक्षण

कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष एक जिले में एक सर्वेक्षण इकाई के द्वारा फाईलेरिया से अत्यन्तग्रस्त क्षेत्र की पहचान परिसीमण सर्वेक्षण द्वारा की जाती थी । विभाग परिसीमण सर्वेक्षण पूर्ण किये जाने की लक्ष्य की तिथि निर्धारित नही की थी । वर्ष 1990-91 तक 1976-77 में स्थापित दो सर्वेक्षण इकाईयों ने राज्य के 42 में से 28 जिलों का 4.47 करोड़ जनसंख्या का सर्वेक्षण किया था । 14 वर्षों के बाद भी बाकी 14 जिलों में जिसकी जनसंख्या 2.51 करोड़ थी को अत्याधिक संक्रामण क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं कर सके ।

समिति अनुशंसा करती है कि विभाग 6 माह के अन्दर फाइलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों एवं जनसंख्या का सर्वेक्षण पूर्ण कर एवं आवश्यक कार्रवाई कर समिति को सूचित करें।

3.3.6.3 लार्वा के विरुद्ध अभियान

मच्छरों की उत्पत्ति की स्थिति का चुने हुए क्षेत्र के वृहत सर्वेक्षण के द्वारा जनन स्थान को लार्वानाशी छिड़काव कार्य के तहत किया जाना था । निदेशालय में लक्ष्य तथा उपलब्धि से संबंधित

समिति अनुशंसा करती है कि विभाग मच्छरों को जनन स्थान पर

का अत्याधिक संक्रमण क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं कर सकी ।

को सूचित करें।

3.3.6.3 लार्वा के विरूद्ध अभियान

मच्छरों की उत्पत्ति की स्थिति का चुने हुए क्षेत्र के वृहत सर्वेक्षण के द्वारा जनन स्थान को लार्वानाशी छिड़काव कार्य के तहत किया जाना था । निदेशालय में लक्ष्य तथा उपलब्धि से संबंधित किसी प्रकार की सूचना पूरे राज्य के बारे में नहीं दी गई । इसी प्रकार 12 में से 8 नियंत्रण 3 इकाई जिनकी नमूना जाँच की गई के बारे में भी कोई सूचना नहीं दी गई । शेष 4 इकाईयों 4 में 1984-90 के दरम्यान लक्ष्य 15,413 लाख वर्गमीटर को ही आच्छादित किया गया । प्रत्येक वर्ष कमी 68 से 86 प्रतिशत के बीच रही । कमी के बारे में कोई कारण नहीं बताया गया ।

समिति अनुशंसा करती है कि विभाग मच्छरों को जनन स्थान पर लार्वानाशी छिड़काव पूर्ण कर एवं लार्वाभक्षी मछली का पालन पोषण सुनिश्चित कर समिति को 6 माह के अन्दर सूचित किया जाय ।

5

लेखापरीक्षा के दौरान छान-बीन से निम्नलिखित बातों का पता लगता है:-

क- निर्धारित मानदंड के अनुसार, प्रत्येक 5 क्षेत्र कार्यकर्ताओं के समूह पर नेपसेक छिड़काव यंत्र की आपूर्ति की जानी थी । जिन 12 इकाईयों का नमूना जाँच किया गया, वहाँ उक्त छिड़काव यंत्र की आवश्यकता की जगह पर सिर्फ 128 छिड़काव यंत्र, 415 कार्यकर्ताओं को दिया गया ।

ख- 1984 में भारतीय अनुसंधान चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मजदूरों के जनन सपान का लार्वानाशी के अलावा लार्वाभक्षी मछली की भी अनुशंसा की थी । जबकि राज्य में मच्छरों के विरूद्ध किये गये अभियान के तहत लार्वानशी मछली का पालन-पोषण नहीं किया गया ।

51

6.3.6	**कार्यक्रम कार्यान्वयन** यद्यपि कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सी०ए०डी०ए० के कार्यक्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के समेकित विकास के लिए बहुआयामी प्रयास का उद्देश्य था, मूल क्षेत्रों के कुछ निश्चित गतिविधियों जैसे भूमि समतलीकरण एवं परिरूपण का कार्य काफी पीछे रहा । सातवी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र प्रणाली का निर्माण, कृषि प्रचार सेवा का मजबूतीकरण इत्यादि को नहीं लिया । संगठन का धारारेखण, कृषि लागत तथा जमा को निर्गत करने के लिए संचार सुविधाओं संबंधी स्थापना संयोजक पथ, विनियमित बाजार, सहयोग समितियाँ इत्यादि के लिए निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है । सी०ए०डी०ए० के द्वारा इस संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया गया, फलस्वरूप समेकित प्रयास नहीं किया जा सका । सातवी पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 1990-91 की अवधि में नियंत्रित क्षेत्र के 6 परियोजनाओं द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अवयव एवं गतिविधियों से संबंधित भौतिक प्रगति नीचे लिखे सारणी में निरूपित किये गये है:-	इस कंडिका के आपत्ति का संबंध सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से नहीं है । यह विभाग मात्र अनुश्रवण एवं विभागों तथा वित्तीय संस्थाओं से समन्वय का कार्य करता है । उठाये गये आपत्ति के बिन्दुओं का संबंध कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग से है । इस कंडिका का अनुपालन संबंधित विभाग द्वारा किया जाना है । कृपया इस कंडिका को सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के सूची से विलंबित कर दिया जाय ।	समिति अनुशंसा करती है कि विभाग आपूर्ति में दर्ज कर्मियों को पूर्णकर 6 माह के अन्दर समिति को अवगत कराया जाय ।

क्र०	अवयव कार्य विधि	छठी पंचवर्षीय योजना तक प्रगति	सातवीं योजना के दौरान प्रगति		वर्ष 1990-91 की अवधि में प्रगति		मार्च 91 तक सुपात्मक प्रगति
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1.	मिट्टी सर्वेक्षण	770.71	560.00	434.40	100.00	74.10	1275.24
2.	टापोग्राफिकल सर्वे	1484.56	535.00	368.27	82.00	21.94	[illegible]
3.	फार्म विकास कार्यक्रम आयोजन एवं कार्यान्वयन	1252.58	575.00	411.30	100.00	23.70	[illegible]
4.	क्षेत्र प्रणाली						

	पूर्व				[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	फार्म विकास कार्य आयोजन एवं रूपांकन	1252.58	[illegible]	[illegible]	150.00	23.70	[illegible]
4.	रोड प्रणाली का निर्माण						
	क. क्षेत्रिक (हेक्टर हेक्टर में)	988.90	306.00	216.44	शून्य	शून्य	1205.44
	ख. रैखिक (कि०मी० में)	3573.15	[illegible]	2229.41	525.00	380.65	4783.6[illegible]
5.	भू-समतलीय रूप एवं परिरूपण	शून्य	1.75	0.02	शून्य	शून्य	0.02
6.	पंप प्रणाली का निर्माण	1.95	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.95
7.	पगडंडी	58.90	68.00	20.56	21.60	2.97	82.53

सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार, पटना

वर्ष	कंडिका संख्या	भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1991-92 की कंडिका का विवरणी	विभाग का स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
1991-92	2.2.6	निम्नलिखित अनुदानों में लगातार बचत देखी गई :	(i)1989-90 वर्ष 1990-91 की कंडिका-(ii) (ii)1990-91-वर्ष 1990-91 की कंडिका (iii) (iii) वर्ष 1991-92 में इस विभाग को जिला प्रशासन में दो शीर्षों में (क) 2053-जिला प्रशासन योजना-800- अन्य व्यय-अन्य क्षेत्रीय उपयोजना गैर सरकारी सदस्यों का कार्यालय व्यय एवं यात्रा व्यय में कुल 9.76 लाख का बजट उपबंध में से 7,32,520.00 रु0 का प्रत्यर्पण किया गया जो जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन कुछ जिलों में नहीं होने के फलस्वरूप कार्यालय व्यय एवं यात्रा व्यय में प्रत्यर्पण हुआ है । (ख) 2053 जिला प्रशासन योजना 796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना-क्षेत्रीय योजना 20-सूत्री कार्यक्रम गैर सरकारी सदस्यों का [illegible] व्यय में कुल 2.00 लाख का बजट उपबंध में से 1.75 लाख का प्रत्यर्पण किया गया जो कुछ जिलों में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के गठन नहीं होने के फलस्वरूप बचत हुयी है । [illegible] अतः [illegible] कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को सूचित करने की कृपा की जाय ।	समिति इस निदेश के साथ विभाग के भविष्य में बजट प्रावधान सुनिश्चित करेगा। समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्र0	अनुदान संख्या	1989-90	1990-91	1991-92
1.3	मंत्री परिषद्, चुनाव सचिवालय एवं जिला प्रशासन	60.01 (30.49)	20.84 (13.17)	65.12 (31.42)

[illegible]
जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के गठन नहीं होने के फलस्वरूप बचत हुयी है । यह बचत अपरिहार्य है । अतः

कंडिका समाप्त कर सांख्यिकी [illegible] कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को सूचित करने की कृपा की जाय ।

2.2.9 बचतों का अभ्यर्पण

(क) जैसे ही बचत की सम्भावना मालूम हो वैसे ही नियमानुसार सभी प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण कर देना चाहिए । वर्ष 1991-92 के दौरान अभ्यर्पित किए गए 693.69 करोड़ रूपये में से 584.53 करोड़ रूपये (कुल अभ्यर्पण का 84.26 प्रतिशत) 31 मार्च 1992 को अभ्यर्पित कर दिए गए ।

(ख) अन्यायोचित/अधिक अभ्यर्पण

बिहार सरकार के वर्ष 1991-92 के विनियोग लेखा में अन्यायोचित/अत्याधिक अभ्यर्पणों के उदाहरण संबंधित अनुदान के नीचे दिए गए है ।

(ग) निम्नलिखित अनुदानों में प्रत्येक में 1.00 करोड़ रू0 से अधिक की बचत अभ्यर्पित नहीं की गई ।

क्र0	अनुदान की सं0 एवं नाम	बचत	अनाभ्यर्पित बचतें (रू0 करोड़ में)
1.3	मंत्री परिषद, चुनाव, सचिवालय और जिला प्रशासन	65.12	6.35

सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को जिला प्रशासन में 20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के गैर सरकारी सदस्यों का यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है । जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों का गठन होने पर इस पर व्यय किया जाता है । कभी कभी किसी किसी जिलों में समय पर समितियों का गठन नहीं हो पाता है या समितियाँ भंग हो जाती है ऐसे मामले में व्यय नहीं हो पाने के कारण बचत हो जाती है जिसे वर्ष के अन्त में प्रत्यर्पित किया जाता है ।

कृपया उक्त कंडिका को सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की सूची से विलोपित कर दिया जाय ।

समिति इस निदेश के साथ की, विभाग भविष्य में बजट प्रावधान सुनिश्चित करेगी एवं समय पर अनुमानित बचत राशि का अभ्यर्पण सुनिश्चित करेगा । समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार, पटना

वर्ष	कंडिका संख्या	भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1992-93 की कंडिका का विवरणी	विभाग का स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
1992-93	2.2.4 2.2.8 2.2.9 (ग) 3.16.5.2 (i) 3.16.5.2 (ii) 3.16.5.2 (iii) 3.16.5.2 (iv) 3.16.5.2	1. जिला प्रशासन आकलन एवं व्यय भारत सरकार, राज्य सरकार, हुडको द्वारा कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों को 1989-93 के बीच विमुक्त किये गये निधि एवं उसके विरूद्ध किया गया व्यय निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:- (अ) भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई निधि- (तालिका नीचे)	वर्ष 1992-93 में सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन - 800 - अन्य व्यय-अन्य क्षेत्रीय उपयोजना गैर सरकारी सदस्यों का कार्यालय व्यय एवं यात्रा व्यय में मात्र 3.26 लाख का बजट उपबंध में से 104572 रूपयों का प्रत्यार्पण किया गया है जो कुछ जिलों में कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन नहीं होने के कारण हुआ है। 2053-जिला प्रशासन-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-20-सूत्री कार्यक्रम और गैर सरकारी सदस्यों का यात्रा व्यय के अन्तर्गत 1.00 लाख का बजट उपबंध था जिसमें से 52,125.00 रूपये का प्रत्यर्पण हुआ है जो जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन नहीं होने के फलस्वरूप एवं वर्ष 1992-93 के योजना उदव्यय में सरकार द्वारा कटौती के फलस्वरूप बचत हुई है। यह प्रत्यर्पण अत्यल्प है। कंडिका के शेष भाग का संबंध सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से नहीं है। अत: कंडिका को सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की सूची से विलोपित किया जाय।	

(लाख रू० में)

वर्ष	यू०एल० बैंक डी०आर०डी०ए० सीधे	राज्य सरकार	हुडको	योग
1989-90	792.32	74.71	229.72	1096.75
1990-91	शून्य	622.81	271.90	894.71
1991-92	नहीं	563.95	106.10	670.05
1992-93	नहीं	358.35	99.00	457.35
योग	792.32	1619.82	706.72	3118.86

20

(ब) [illegible] हुडको [illegible] विमुक्त निधि- [illegible]
[illegible] राज्य सरकार [illegible]

सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने नहीं है । अतः कंडिका को सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की सूची से विलोपित किया जाय ।

(ख) कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों को राज्य सरकार/ हुडको द्वारा विमुक्त निधि-

राज्य अंश

वर्ष	भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधि [illegible]	केन्द्रीय सहायता	विमुक्त की जाने वाली राशि	विमुक्त की गई राशि	हुडको	योग (2+3+5+6)	किया गया व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1989-90	792.32	शून्य	486.30	शून्य	शून्य	792.32	शून्य	792.32
1990-91	शून्य	332.19	260.52	शून्य	शून्य	332.19	शून्य	332.19
	शून्य	[illegible]	216.48	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(-) 207.02
	शून्य	391.15	304.30	शून्य	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(-) 175.60
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(i) भारत सरकार से प्राप्त 1619.82 लाख रुपये में से राज्य सरकार ने केवल 1165.20 लाख रुपया डी.आर.डी.ए. को विमुक्त किया, 9.38 लाख रूपये निदेशालय स्तर पर खर्च किये गये और शेष राशि 445.25 लाख रूपये चालू/ व्यक्तिगत लेजर खाता में जमा रखा गया ।

भारत सरकार से प्राप्त 706.72 लाख रूपये में से हुडको ने 1992-93 में, 5 नोडल एजेन्सी को 175.04 लाख रूपये केन्द्रीय सहायता राशि के रूप में और राज्य सरकार को प्रशिक्षण एवं संरचनात्मक आधार के लिये एस0एच0ए0एच0यू0 के अधीन 129.63 लाख रूपया, विमुक्त किया ।

लेखा परीक्षा को केन्द्रीय निधि का एक बड़ा हिस्सा 847.29 लाख रूपया, (राज्य सरकार, 445.24 लाख रूपये): हुडको 402.05 लाख रूपये) राज्य सरकार और हुडको द्वारा, विमुक्त नहीं करने का कारण उपलब्ध नहीं कराया गया

समिति अनुशंसा करती है कि केन्द्रीय निधि से प्राप्त हिस्सा राज्य सरकार (445.24 लाख)रूपये, हुडको (402.05 लाख) रूपये को विमुक्त नहीं करने के कारणो से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत कराया जाय ।

6

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा सीधे 3 यू०एल०बी० और 31 डी०आर०डी०ए० को विमुक्त किये गये 792.32 लाख रूपये में से 29.57 लाख रूपये एस०यू०एम०ई० के अधीन पटना नगर निगम को साहाय्य राशि के रूप में टेलिग्राफिक स्थानान्तरण द्वारा विमुक्त राशि, सूचना में निगम के मुखिया के पदनाम के संबंध में गलत निर्देशन के फलस्वरूप निगम के खाते में जमा नहीं हो सका । राज्य सरकार द्वारा यह मामला केन्द्र सरकार से उठाने पर भी 29.57 लाख रूपया निगम के खाते में मार्च 1994 तक जमा नहीं हो [illegible] था । राज्य सरकार ने भी आवश्यक अंश [illegible] लाख रूपये विमुक्त नहीं किया । फलस्वरूप पटना नगर [illegible] के अधीन [illegible] वाले लाभार्थी इस योजना (एस०यू०एम०ई० [illegible]) 1989 93 के बीच वंचित रहे ।	समिति अनुशंसा करती है कि पटना नगर निगम के लिए आवंटित साहाय्य राशि 29.57 लाख रू० (केन्द्र सरकार), 29.75 लाख रू० (राज्य सरकार) निगम के खाते में जमा सुनिश्चित कर 6 माह के अन्दर समिति को अवगत कराया जाय।
(iii) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्ष [illegible] 92 से 1992 93 के लिये, इस शर्त पर निधि विमुक्त किया जाना था कि राज्य सरकार पिछले वर्षों के अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं लेखा परीक्षित लेखा समर्पित करें । तथापि, भारत सरकार द्वारा [illegible] शर्तों को पूरा नहीं करने पर भी निधि विमुक्त की जाती रही	समिति अनुशंसा करती है कि अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार कार्रवाई हेतु प्रेषित कर इसकी सूचना समिति को दी जाय ।
(iv) राज्य सरकार ने अपने बजट में कार्यक्रम के लिए 1989 90 और 1992-93 में कोई प्रावधान नहीं किया [illegible] वर्षों के लिये [illegible] राज्य अंश 746.82 लाख रूपये के [illegible] राज्य सरकार द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि से 526.60 लाख रूपये [illegible] किया गया और सिविल डिपोजिट में रखा गया । [illegible] 213.30 लाख रूपये कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों [illegible] 1992 में विमुक्त किया गया । इस बिन्दु पर [illegible] विभाग के निदेशक ने अगस्त 1993 में स्वीकार किया कि निधि [illegible] पड़ा । राज्य सरकार द्वारा 753.79 लाख रूपय का बजट [illegible] 1992-93 के दौरान उसके हिस्से	समिति अनुशंसा करती है कि योजना के कार्यान्वयन के लिए विमुक्त की गई राशि को सिविल डिपोजिट में जमा करने के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई कर 6 माह के अन्दर

		[illegible] और सिविल डिपॉजिट में रखा गया । बाद में केवल 3?3.?2 लाख रुपये कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों को [illegible] [illegible] में विमुक्त किया गया । इस बिन्दु पर [illegible] [illegible] पर विभाग के निदेशक ने अगस्त 1993 में स्वीकार किया कि निधि [illegible] पड़ा । राज्य सरकार द्वारा 753.79 लाख रुपये को [illegible] किया गया जो 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान उसके हिस्से को निरूपित करता है, परन्तु कोष को पुनः असैनिक जमा में रख दिया गया और इन वर्षों में कार्यकारी संस्थानों को नहीं दिया गया । यद्यपि राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के तीन सप्ताह के अन्दर अपना अंशदान प्रदान करना था । तत्पश्चात अक्टूबर/ नवम्बर 1993 में 453.79 लाख रुपया विमुक्त किया गया ।		[illegible] सिविल डिपॉजिट में जमा करने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई कर [illegible] [illegible]
		IV मार्च 1993 तक 739.09 लाख रुपये की अव्यवहृत राशि के रूप में पड़े रहने के कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया ।		समिति अनुशंसा करती है कि 739.09 लाख रू० अव्यवहृत राशि पड़े रहने के कारणों की सूचना समिति को 6 माह के अन्दर स्पष्ट करना सुनिश्चित करें ।
		(vi) केन्द्र सरकार के सलाह पर ने०रो०यो० के अन्तर्गत एस०एच०डब्ल्यू०ई० के कार्यान्वियन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 14 लाख रूपये राज्य सरकार के खाते में मार्च 1992 में डाले दिया गया । नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वियन एजेंन्सियों को प्रदान करने के लिए मार्च 1994 तक राज्य सरकार द्वारा राशि की निकासी नहीं की गयी ।		नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वियन के एजेंन्सियों को प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14.00 लाख रू० जो मार्च 1992 में राज्य सरकार के खाते में डाला गया था को कार्यान्वियन एजेंन्सियों में वितरण सुनिश्चित कर समिति को 6 माह के अन्दर अवगत कराया जाय ।

		(vii) 1989-90 से 1992-93 के दौरान 24.78 लाख रूपये की राशि को दो जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरणों (हजारीबाग, पटना) द्वारा दूसरे कार्यों में जैसे योजना श्यामपट, नगर प्राथमिक सेवायें और वेतन भुगतान जो कार्यक्रम में नहीं था, उस पर विचलित करते हुए राशि का व्यय किया गया। यद्यपि मई 1994 तक जि0ग्रा0वि0 के कोष से मात्र 18.20 लाख रूपये ही प्राप्त किया जा सका। शेष 6.58 लाख रूपये अप्राप्त रह गये।		समिति अनुशंसा करती है कि योजना की राशि दूसरे मद में विचलित कर व्यय करने के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर समिति को सूचित करें।

परिशिष्ट - VII

क्र०	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रू० में) (प्रावधान की प्रतिशतता कोष्ठक में)	बचत के मुख्य कारण - जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया	को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति के [illegible] गया है । प्रतिनियुक्ति द्वारा
18	25, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	राजस्व 3.02 (47)	मुख्यतः पदों को रिक्त रखने, संशोधित वेतनमानों में वेतन एवं बकाये का निर्धारण/ भुगतान नहीं होने, भाड़ा एवं विद्युत विपत्र प्राप्त नहीं होने, योजनाओं के स्वीकृति नहीं होने एवं पदों को रिक्त रखने के कारण	रिक्त पदों के लिए वेतन/ संशोधित वेतन/बकाया वेतन आदि के भुगतान नहीं होने के कारण मुख्यतः बचत हुई है । इसके अलावा भाड़ा विद्युत विपत्र एवं योजनाओं की स्वीकृति नहीं होने के कारण राशि की बचत हुई है । अतः अनुरोध है कि कंडिका को सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की सूची से विलोपित किया जाय ।

पटना, दि० 29-4-03

सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान सभा ।

बि० स०मु० (एल०ए०) 41- मो० एल० - 500-